8.7.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय की पृथक से वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नकल से जमा हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(34)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 23	31.05.2024	136 LR Act	08.07.2025

उनवान

1:–आशा पत्नि स्व. श्री शिखर चन्द पुत्रवधू स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन हाल निवासी 01–ख–01, उप–डाकघर के सामने, मनुमार्ग, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर

2:–मनोज पुत्र स्व. श्री शिखर चन्द पौत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन हाल निवासी 01–ख–01, उप–डाकघर के सामने, मनुमार्ग, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

3:–दीपक पुत्र स्व. श्री शिखर चन्द पौत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन हाल निवासी 01–ख–01, उप–डाकघर के सामने, मनुमार्ग, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

4:–राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन हाल निवासी सक्सेना मौहल्ला, मन्नी का बड, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान ।

प्रार्थीगण

वनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अलवर तहसील परिसर मिनी सचिवालय भवन अलवर राजस्थान

अप्रार्थीगण

1:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

2:– प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 175 मिन रकवा 02 वीघा 09 विस्वा, हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकवा 0.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 291 रकवा 0.01 हैक्टेयर वाके ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर में स्थित हैं साबिक आराजी खसरा नम्बर 175 रकवा 02 वीघा 09 बिस्वा में से 175 मिन रकवा 01 वीघा 04 विस्वा के खातेदार काविज काश्तकार श्री यादराम पुत्र श्री देवबक्स जाति माली निवासी लाल डिग्गी, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे थे तथा साबिक खसरा नम्बर 175 मिन रकवा 01 वीघा 05 विस्वा के खातेदार काश्तकार प्रभू पुत्र मामराज गुर्जर साकिन अखैपुरा शहर अलवर राजस्थान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे थे साबिक खसरा नम्बर 175 मिन रकवा 01 वीघा 04 विस्वा आराजी के खातेदार काविज काश्तकार श्री यादराम पुत्र श्री देवबक्स द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी मुतनाजा श्री शिखर चन्द जैन व राकेश कुमार पुत्रान श्री लक्ष्मीचन्द जैन को मुवलिग 40000/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीरी दिनांक 16.10.1990 पंजीयन दिनांक 17.10.1990 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 436 पृष्ठ संख्या 13–14 कम संख्या 2555 अति० जिल्द संख्या 391 पेज सं. 227–234 उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीवद्ध कर बेचान कर दिया गया।

प्रार्थीगण द्वारा श्री यादराम पुत्र श्री देवबक्स से उक्त आराजी मुतनाजा क्रय किये जाने के पश्चात क्रयशुदा आराजी मुतनाजा का वैय इंतकाल तस्दीक कराने वावत प्रार्थना पत्र मय बैयनामा तहसीलदार अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र मार्किंग के पश्चात हल्का पटवारी भाखेडा को प्रेषित कर दिया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थना पत्र लिया जाकर आराजी मुतनाजा व बैयनामा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

की जाँच कर इंतकाल भरा जाकर ग्राम पंचायत की मिटिंग में सर्व सम्मति से विधि पूर्ण तरीके से दिनांक 30.01.1991 को स्वीकार कर लिया गया

यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में खरीदशुदा आराजी मुतनाजा का इंतकाल स्वीकार होने के समय ही राजस्थान सरकार के बन्दोबस्त विभाग द्वारा अलवर तहसील में स्थित राजस्व ग्रामों का बन्दोबस्त सर्वे प्रारम्भ कर दिया गया। जिस कारण प्रार्थीगण (श्री शिखर चन्द जैन व राकेश कुमार) के हक में तस्दीकशुदा इंतकाल का अमल दरामद तत्समय के राजस्व जमाबन्दी/बन्दोबस्त जमाबन्दी में नही हो पाया तथा राजस्व व बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा भी इंतकाल पर गौर ना करते हुये पूर्ववर्ती जमाबन्दी पृविष्टियों को रिपिट किये जाने के कारण ही यादराम पुत्र श्री देवबक्श माली का नाम राजस्व बन्दोबस्त जमाबन्दी तत्पश्चात निरन्तर चौसाला तैयार की जानें वाली राजस्व जमाबन्दियों में पूर्ववर्ती खातेदारों की पृविष्टियों का अंकन विधि विरूद्ध तरीके से किया जाता रहा हैं।

यह कि खरीदशुदा आराजी मुतनाजा का बैय इंतकाल संख्या 452 दिनांक 30.01.1991 को प्रार्थीगण के हक में तस्दीक व स्वीकार होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों व बन्दोबस्त कर्मचारियों की यह पदीय जिम्मेदारी थी कि उक्त इंतकाल का अमल दरामद बन्दोबस्त जमाबन्दी व तत्पश्चात वर्ष दर वर्ष बनने वाली जमाबन्दियों प्रार्थीगण (श्री शिखर चन्द जैन व राकेश कुमार) के नाम की पृविष्टियां निरंतर राजस्व रिकार्ड में करते किन्तु बन्दोबस्त कर्मचारी /राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐसा नही किया जाकर निरंतर यादराम पुत्र देवबक्श माली के नाम का अंकन कर दिया गया जिससे मिन प्रार्थीगण के हकूकों व अधिकारों का कुठाराघात हो रहा हैं। जिस कारण यादराम माली के नाम को कलमजन/हटाया जाकर प्रार्थीगण के नाम का अंकन किया जाना न्यायहित में न्यायोचित व न्यायसंगत हैं। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ हैं।

श्री शिखर चन्द पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द जाति जैन शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान का निधन दिनांक 10.04.2020 को हो गया हैं, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्री शिखर चन्द जैन के विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से पेश किया जा रहा हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र में वर्णित क्रयशुदा आराजी के 1/2 भाग में स्व. श्री शिखर चन्द जैन के फुटस्टेप में प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के नाम का अंकन तथा 1/2 भाग में प्रार्थी संख्या 04 के नाम का अंकन दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को हैं।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 175 मिन रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 287 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 291 रकबा 0. 01 हैक्टेयर वाके ग्राम भाखेडा तहसील व जिला अलवर के समस्त हाल राजस्व रिकार्ड के काश्तकार कॉलम में यादराम पुत्र देवबक्श माली के स्थान पर (01 बीघा 04 बिस्वा आराजी में) मिन प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 का 1/2 भाग व प्रार्थी संख्या 04 का 1/2 भाग में खातेदार काश्तकार के नाम की दुरूस्ती कराये जाने की कृपा करें व अन्य दीगर दादरसी प्रार्थी के पक्ष में उचित व न्यायसंगत हो अता फरमाई जायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट क्रमॉकः भू0 अ0/2024/6811 दिनॉक 04–10–2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र आशा पत्नी स्व. श्री शिखरचन्द जैन ,मनोज दीपक पुत्रान स्व. शिखरचन्द हाल नि0 1 ख उप डाक घर के सामने मनुमार्ग शहर अलवर रिपोर्ट मुताबिक जमाबंदी हाल के खसरा नंबर 287/0.31, 288/0.30, 291/0.01, किता 3 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम के भाखेडा में यादराम पुत्र देवबक्स हिस्सा 24/49 जाति माली सा० लालडिग्गी अलवर खातेदार शेष इंद्राज बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–2070/2020 वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर राजस्व रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार है।

हाल रिकार्ड अनुसार		सम्वत 2051 की स्थिति अनुसार	
हाल ख0 न0	रकबा हैक्टर मे	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/बिस्वा मे)
287	0.31	175 मिन	2 बीघा 9 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

288	0.30		
291	0.01		

भू–प्रबन्ध विभाग मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी स. 2051–2070 के खाता नम्बर 96 में साबिक खसरा नम्बर 175 रकबा 2–09 बीघा हाल के खसरा नंबर 287 / 0.31, 288 / 0.30, 291 / 0.01, किता 3 रकबा 0.62 है. में प्रभु पुत्र मामराज गुजर सा. अखेपुरा अलवर खातेदार (1–05 बीघा) यादराम पुत्र देवबक्स जाति माली सा० लालडिग्गी अलवर खातेदार (1–04 बिस्वा) दर्ज रिकोर्ड है उक्त खसरा नम्बरों में नामान्तकरण संख्या 452 वैयनामा दिनांक 30 / 01 / 1991 यादराम पुत्र देवबक्स के बजाय शिखरचन्द जैन, राकेशकुमार पिसरान श्री लक्ष्मीचन्द जैन साकिन अखेपुरा बड़ा बाजार अलवर स. भाग खरीददार खातेदार खसरा न. 175 मिन रकबा 1–04 बीघा दर्ज होकर स्वीकार दर्ज रिकोर्ड हुआ है।

मुताबिक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे कार्य चालू होने से उक्त नामान्तकरण का अंकन मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051 में सहवन से छूट गया जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में यादराम पुत्र देवबक्स जाति माली हि. 24 / 49 दर्ज है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का केशरपुर के जयै रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 2555 दिनांक 17 / 10 / 1990 का दर्ज नामान्तकरण संख्या 452 वैयनामा दिनांक 30 / 01 / 1991 के क्रेता शिखरचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जैन का दिनांक 10 / 04 / 2024 को निधन हो चुका है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 287 / 0.31, 288 / 0.30, 291 / 0.01, किता 3 रकबा 0.62 है. में जयें रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 2555 दिनांक 17 / 10 / 1990 का दर्ज नामान्तकरण संख्या 452 बैयनामा दिनांक 30 / 01 / 1991 विक्रेता यादराम पुत्र देवबक्स के स्थान पर क्रेता राकेशकुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द हि0 1 / 2 आशा पत्नी स्व.श्री शिखरचन्द जैन, मनोज, दीपक पुत्रान स्व. शिखरचन्द हि. 1 / 2 राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद का अनुतोष चाहते है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही/ पालना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार तहसील अलवर एंव पटवारी हल्का केसरपुर रिपोर्ट दिनॉक 22–07–2024 एंव अभिशंषा से भी होता है कि साबिक वाके ग्राम भाखेडा तहसील अलवर के खसरा नम्बर 175 मिन रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार श्री यादराम पुत्र श्री देवबक्स द्वारा अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी मुतनाजा श्री शिखर चन्द जैन व राकेश कुमार पुत्रान श्री लक्ष्मीचन्द जैन को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र तहरीरी दिनांक 16.10.1990 पंजीयन दिनांक 17.10.1990 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 436 पृष्ठ संख्या 13–14 कम संख्या 2555 अति० जिल्द संख्या 391 पेज सं. 227–234 उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीबद्ध कर बेचान कर दिया गया रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 2555 दिनांक 17 / 10 / 1990 का दर्ज नामान्तकरण संख्या 452 वैयनामा दिनांक 30 / 01 / 1991 जो मुताबिक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे कार्य चालू होने से उक्त नामान्तकरण का अंकन मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051 में सहवन से छूट गया जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में यादराम पुत्र देवबक्स जाति माली हि. 24 / 49 दर्ज है जो कि वर्तमान तक बदस्तूर है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 2555 दिनांक 17 / 10 / 1990 का दर्ज नामान्तकरण संख्या 452 वैयनामा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

37

30/01/1991 को ध्यान रखते हुये विक्रेता यादराम पुत्र देवबक्स के स्थान पर क्रेता राकेश कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द हि0 1/2 आशा पत्नी स्व. श्री शिखरचन्द जैन, मनोज, दीपक पुत्रान स्व. शिखरचन्द हि. 1/2 राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर

निर्णय आज दिनांक 08-07–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर